UPAL010057892026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–02, अलीगढ़।
पीठासीन अधिकारी– तोष कुमार शर्मा (उच्चतर न्यायिक सेवा) –UP 6557
Anticipatory Bail Application-2673 /2026

अन्जली पत्नी सुदेश कुमार निवासी–5/69 एच–29 त्रिमूर्ति नगर चांदमारी थान–बन्नादेवी जिला अलीगढ।

.....अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मुकदमा अपराध संख्या–527/2022
अन्तर्गत धारा–323, 420, 406, 504, 506 भा0द0स0
थाना–बन्नादेवी , जिला– अलीगढ़

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र

यह उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्ता अन्जली की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 527/2022 अन्तर्गत धारा–323, 420, 406, 504, 506 भा0द0स0 सम्बन्धित थाना बन्नादेवी जिला अलीगढ में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन के अनुसार वादी ने त्रिमूर्ति नगर सुरक्षा विहार इलाके में सुधेश कुमार सिंह उर्फ सोमेश, अंजलि से उनके सुरक्षा विहर त्रिमूर्ति नगर सुरक्षा बिहार थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ से उनके सुरक्षा विहार त्रिमूर्ति नगर सुरक्षा बिहार थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ से उनके सुरक्षा बिहार त्रिमूर्ति नगर स्थित मकान का सौदा दिनांक 05.09.2021 को 16 लाख रूपये में किया था मैने दोनो पति पत्नी को 06 लाख रूपये एडवांस दिये जिसमें एक एक लाख के दो चेक व तीस हजार रूपये पेटीएम के द्वारा व तीन लाख सत्तर हजार रूपये विभिन्न तिथियों में गवाह के सामने दिये थे जिसका रिकार्ड मेरे पास है सुधेश कुमार व उसकी पत्नी अंजलि ने मुझे अस्वासन दिया था कि यह मकान पाक सा है और एक वर्ष के अन्दर हम इस मकान का बैनामा तुम्हारे नाम कर देगें बाकी दस लाख रूपये बैनामें के समय देना तय हुआ था कुछ दिन पहले मुझे पता लगा कि सुधेश कुमार व उसकी पत्नी अंजलि ने उस मकान को किसी अन्य व्यक्ति को बेक दिया है। मैने इन दोनो से किसी अन्य व्यक्ति को मकान बेचने के बारे में जानकारी की तो दोनो पति पत्नी आग बबूला हो गये और मेरे से गाली गलौज करने लगे ओर मुझसे कहा हमने मकान जिसे बेचना था उसे बेक दिया है तेरे से जो हो कर लेना में अपने घर वापस आ गया। सुधेश कुमार व उसकी पत्नी अंजलि ने धोखाधडी करके बेईमानी की नीयत से मेरा पैसा हडप कर लिया है और मुझे विश्वास में लेकर मेरे साथ छल करके मकान किसी और को बेक दिया है। दिनांक 12.06.2022 को सुबह के समय सुधेश कुमार व उसकी पत्नी अंजलि व शिवम , सूरज जो कमल सिंह राघव के मकान में किराये पर रहता है। ये सभी लोग मिलकर उस मकान से सामान भरकर ले जा रहे थे मैने इनसे कहा कि जब आपने मकान किसी और को बेक दिया है तो मेरा पैसा वापस कर दो इस बात पर ये

लोग आग बबूला हो गये और इन चारों ने मिलकर मेरे साथ मारपीट की और मुझसे कहा कि हमने मकान जिसे बेकना था उसे बेक दिया है और तेरा पैसा भी नहीं देगें तुझे जो करना है कर लेना मेरे साथ मारपीट और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गया । मुझे मुकेश कुमार , सोनू नागर ने बचाया था। मैने काफी लोगों से अपना पैसा वापस कराने के लिये इन लोगो पर दबाव बनाया हार थक कर में पैसा वापस न मिलने पर आपके पास आया हूँ। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही की जाए।

अभियुक्ता/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता 'दाण्डिक' को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियुक्ता/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्ता/आवेदिका को इस मुकदमें में झूंठा फंसाया गया है। उक्त केस की प्रथम सूचना रिपोर्ट 01 माह बाद दर्ज करायी गयी है परन्तु इस देरी का कोई कारण अभियोजन ने नहीं बताया है। आवेदिका द्वारा वादी से किसी भी प्रकार का कोई सौदा व लेन देन मकान के बावत नहीं किया गया है और ना ही कोई समझौता प्रपत्र या कोई दस्तावेजी साक्ष्य वादी के पास है। मात्र वादी द्वारा अपनी तरफ से लेन देने के वावत प्रपत्र प्रस्तुत किये गये है जिस पर आवेदिका के कोई हस्ताक्षर नहीं है। उक्त मामलें की कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी भी नहीं दर्शाया गया है जो गवाह दर्शाये है वह वादी के अपने है। अतः अभियुक्ता को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाय।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का कड़ा विरोध किया गया है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट 01 माह बाद देरी से दर्ज की गयी है। अभियोजन अधिकारी ने कथन किया है कि वादी का सुरक्षा बिहार त्रिमूर्ति नगर स्थित मकान का सौदा अभियुक्तगण से दिनांक 05.09.2021 को 16 लाख रूपये में किया था उसने अभियुक्ता व उसके पति को 06 लाख रूपये एडवांस दिये जिसमें एक एक लाख के दो चेक व तीस हजार रूपये पेटीएम के द्वारा व तीन लाख सत्तर हजार रूपये विभिन्न तिथियों में गवाह के सामने दिये थे परन्तु दोनो पक्षों के मध्य हुये मकान के समझौता के बावत किसी भी तरह का कोई समझौता प्रपत्र या दस्तावेजी साक्ष्य जिस पर अभियुक्ता के हस्ताक्षर हो न्यायालय के समझ पेश नहीं किया गया है जिससे यह सिद्व होता कि उक्त मकान को लेकर दोनो पक्षों के बीच में कोई अनुबंध हुआ है तथा अभियोजन ने अभियुक्ता पर आरोप लगाया है कि जिस मकान का सौदा अभियुक्ता से हुआ था उसे अन्य जगह बेच दिया गया है परन्तु इस बावत किसी भी तरह का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्व होता कि वादी और अभियुक्ता के बीच में मकान को लेकर कोई अनुबंध हुआ था और उक्त मकान को अभियुक्ता ने किसी अन्य पक्ष को बेक दिया है। अभियोजन ने अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास पेश किया गया है और ना ही कोई पूर्व की दोषसिद्वि साबित की गयी है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मामले के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना मेरे विचार से इस स्तर पर अभियुक्ता/आवेदिका को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अभियुक्ता/आवेदिका की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्ता/आवेदिका द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्ता/आवेदिका के द्वारा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उसके द्वारा

50,000/–रूपये का निजी मुचलका व इसी राशि का एक प्रतिभू व इस शर्त के साथ प्रस्तुत करने पर जमानत पर छोड दिया जावे कि–

1. अभियुक्ता/आवेदिका भविष्य में इस प्रकार का अथवा अन्य कोई अपराध कारित नहीं करेगी।
2. मामले की विवेचना में सहयोग करेगी।
3. अभियुक्ता/आवेदिका अभियोजन साक्षीगण को डरायेंगे धमकायेंगे नहीं तथा विचारण न्यायालय में साक्ष्य की तिथियों पर साक्षीगा के न्यायालय में उपस्थित रहने पर साक्षीगण से प्रतिपरीक्षा करेंगे एवं स्थगन की मांग नहीं करेंगी।
4. अभियुक्ता/आवेदिका व जामिनदारान, बन्धपत्रों व प्रतिभू में अपने मोबाईल नम्बर तथा स्थाई व वर्तमान पते अंकित करेंगे एवं पते के सम्बन्ध में दस्तावेज आधार कार्ड आदि की प्रति प्रस्तुत करेंगे। यदि दिये गये पतों व मोबाईल नम्बर में कोई परिवर्तन होता है, तो इसकी सूचना न्यायालय को देंगी तथा यदि अभियुक्ता कार्य के लिए स्थान परिवर्तन करती हैं, तो परिवर्तित स्थान की भी सूचना देगी।

दिनांक–08.06.2026

(तोष कुमार शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–02, अलीगढ़।
UP 6557